भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1925
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

जनजाति-बहुल गाँवों का विद्युतीकरण

1925. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने जनजाति-बहुल गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सौर-आधारित विद्युतीकरण प्रणालियों की कार्यकरण और विश्वसनीयता का आकलन किया है और यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य के लिए अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की थी। सौभाग्य के तहत संस्वीकृत सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार पूरी हो चुकी है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया (राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है)।

इसके अलावा, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इसमें स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार सौभाग्य के अंतर्गत छूटे हुए घरों और पीएम-जनमन के अंतर्गत सभी चिन्हित घरों का विद्युतीकरण शामिल है। आरडीएसएस के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिन्हित 1,27,061 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों के विद्युतीकरण के लिए 516 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को मंजूरी दी गई

है। इसके अलावा, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण संबंधित राज्य स्कीम के तहत कवर किया जा रहा है। दिनांक 14.07.2025 तक, 1,23,446 पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। (राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है)

इसके अतिरिक्त, नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत, 9961 घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण हेतु 49.8 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है (राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** पर संलग्न हैं)।

(ख) : जिन क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्टिविटी तकनीकी/आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, वहां घरों को ऑफ-ग्रिड समाधानों, विशेष रूप से सौर-आधारित प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा रहा है, जैसा कि राज्यों द्वारा प्रस्तुत विवरण में बताया गया है।

नई सौर ऊर्जा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आदिवासी/पीवीटीजी परिवारों को प्रदान की जा रही ऑफ-ग्रिड प्रणाली में 5 वर्षों की व्यापक रखरखाव सेवाएँ शामिल हैं। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दो वर्ष पूरे होने पर तृतीय-पक्ष निरीक्षण का भी प्रावधान है।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1925

अनुबंध-I

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ के बाद से डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित विद्युतीकृत घरों की संख्या।

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

*** सौभाग्य योजना के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं**

****

पीएम-जनमन के अंतर्गत चिन्हित पीवीटीजी परिवारों का विद्युतीकरण (दिनांक 14/07/2025 तक)

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	स्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत कुल परिवार	घरों का विद्युतीकरण
क					
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	24,967	24,925
2	छत्तीसगढ	38.17	22.90	7,077	7,144
3	झारखंड	74.13	44.47	12,442	5,341
4	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615	1,546
5	केरल	0.86	0.52	345	313
6	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290	24,036
7	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556	9,216
8	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	16,023
9	तमिलनाडु	29.89	17.94	8,603	6,235
10	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,884
11	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	11,692
12	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	195
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669	669
उप-योग (क)		**516**	**328**	**1,27,061**	**1,11,219**
ख					
14	गुजरात				6,626
15	ओडिशा				2,229
16	पश्चिम बंगाल				3,372
उप-योग (ख)					**12,227**
कुल योग (क+ख)		**516**	**328**	**1,27,061**	**1,23,446**

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1925

अनुबंध-III

नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित घरेलू विद्युतीकरण को मंजूरी दी गई

	राज्य	**संस्वीकृत परिवारों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	1,675
2.	छतीसगढ	1,578
3.	झारखंड	2,342
4.	मध्य प्रदेश	2,060
5.	कर्नाटक	179
6.	केरल	98
7.	तेलंगाना	326
8.	त्रिपुरा	1,703
कुल		**9,961**

****